



# भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं. क्यूएम /L-6007919

Licence No. QM/L-6007919

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016(2016 का 11) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act 2016(11 of 2016, the Bureau hereby grants/re-certifies to

उद्योग और वाणिज्य विभाग

Department of Industries and Commerce

कमिश्नरी उद्योग और वाणिज्य

Commissioner of Industries and Commerce

दूसरी और तीसरी मंज़िल

2nd and 3rd Floor

सिडको कॉर्पोरेट कार्यालय

SIDCO Corporate Office

तिरु वी.का. इंडस्ट्रियल एस्टेट

Thiru Vi.Ka Industrial Estate

गिंडी, चेन्नै,

Guindy, Chennai- 600 032

तमिलनाडु

Tamilnadu

को।वी (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है) इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारीयों के रजिस्टर(रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान/नवीकर्म करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा

IS/ISO 9001:2015 के अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताए गए पते (पतों) पर निर्मित/प्रदत्त/प्रचालित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address(es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with **IS/ISO 9001:2015**.

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबंध प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत/ नवीकृत किया गया और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is granted/re-certified subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

3. यह लाइसेंस 17 जुलाई 2019 से 16 जुलाई 2022 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 17 July 2019 to 16 July 2022 and may be renewed as prescribed in the Regulations.

2019 के जुलाई माह के 17 दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित।

Signed, Sealed and Dated this 17th day of July 2019

उप महानिदेशक (दक्षिण क्षेत्र)

कृते भारतीय मानक ब्यूरो

Deputy Director General(Southern Region)  
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

संजीव चतुर्वेदी

SANJEEV CHATURVEDI

वैज्ञानिक-एफ

Scientist-F & Head (CNBOI)

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय

SOUTHERN REGIONAL OFFICE

चेन्नै /CHENNAI-600 113.

